

मध्य-प्रदेश शासन वन विभाग



क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रोजेक्ट रिपोर्ट

बजट मद	:-	क्षतिपूर्ति वनीकरण
वर्ष	:-	2024-25 से 2034-35
योजना का नाम	:-	कुआंझागर तालाब परियोजना
स्थल का नाम	:-	ग्राम कंसेर
सर्वे क्रमांक .	:-	118/2 एवं 118/3
रकबा	:-	14.680+5.832=20.512 हैं.
बीट का नाम	:-	जावरा
सबरेंज	:-	जावरा
वन परिक्षेत्र	:-	सैलाना
वनमण्डल	:-	रतलाम
प्राक्कलन लागत	:-	8594020

सामान्य वनमण्डल — रतलाम



मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना

परियोजना का नाम :- कुआँझागर तालाब परियोजना

क्षेत्रफल :- 20.512 हेक्टेयर

वनमण्डल का नाम :- रतलाम (सामान्य)



सामान्य विवरण

1. परियोजना का नाम :- कुआँझागर तालाब परियोजना
2. जिला :- रतलाम
3. वनमण्डल :- रतलाम
4. परिक्षेत्र :- सैलाना
5. तहसील :- पिपलोदा
6. ग्राम पंचायत :- कन्सेर
7. बीट का नाम :- जावरा
8. कक्ष/सर्वे क्रमांक :- 118/03 एवं 118/02
9. वन समिति का नाम :- कन्सेर
10. कक्ष किस कार्य वृत्त में आता है :- वैकल्पिक वृक्षारोपण
11. मिट्टी का प्रकार :- लेटराईट
12. साईट क्वालिटी :- VB



उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 20512 पौधें
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :-

प्रजाति का नाम	पौधों की संख्या	पौधों की आयु वर्ष में	पौधों की ऊँचाई (से.मी.)	कॉलर गोलाई (से.मी.)
सागौन	5462	1 से 1.5	न्यूनतम 45 से.मी.	3.5—5.0
चिरोल	6000	1.5 से 2	न्यूनतम 45 से.मी.	2.5—3.0
सिस्सु	4000	एक वर्ष	न्यूनतम 45 से.मी.	2.0—2.5
नीम	1000			
महारुख	2500			
बांस	1000	1.5 से 2	न्यूनतम 45 से.मी.	3.0—5.0
संकटापन्न प्रजाति				
पुत्रंजीवा	50	एक वर्ष	न्यूनतम 45 से.मी.	2.0—2.5
अर्जुन	50			
काला शिशम	50			
बेलपत्र	50	1.5 से 2	न्यूनतम 45 से.मी.	2.5—3.0
द्रहीमन	50			
कुल्लु	50			
बहेडा	50			
महुआ	50			
अचार	50			
सिंदुरी	50	प्र.मु.व.स. अनुविस्तार विस्तार के पत्र क्रमांक/रोपणी/2857 दिनांक 06.11.2018 अनुसार		
गिरनी	50			
योग—	20512			

3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर 45 से.मी. गहरे तथा 45 से.मी. चौड़े तथा 3 मीटर लम्बाई में कंटूर ट्रेंच बनाये जायेंगे। आवश्यकता अनुसार उपयुक्त स्थलों पर कंटूर बण्ड का निर्माण किया जायेगा। क्षेत्र में मौजूद छोटे नालों में मिट्टी से नाला बंधान का कार्य किया जायेगा। इन कार्यों के लिये प्रथम वर्ष की राशि की 25 प्रतिशत राशि प्रावधानित की गई है।

4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चैनलिंग फेंसिंग तथा आर.सी.सी. पोल लगाकर की जावेगी।

5. पुर्नउत्पादन सफाई :- क्षेत्र में किये गये ठूठ ड्रेसिंग कार्य से प्राप्त कापिस की सिंगलिंग का कार्य सुरक्षा श्रमिकों के माध्यम से द्वितीय वर्ष अथवा तृतीय वर्ष में किया जावेगा। क्षेत्र में बिरलन कार्य कार्ययोजना में दिये प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।



6. सिलरीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में लेण्टाना उन्मूलन का कार्य किया जायेगा। रोपण उपरांत तृतीय वर्ष तक प्रति वर्ष 3 बार निंदाई का कार्य किया जायेगा। चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में 2 बार निंदाई का कार्य किया जायेगा।

7. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।

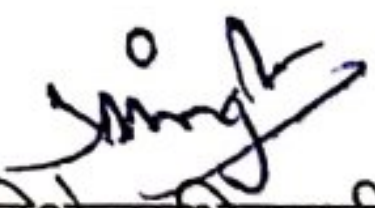
8. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जावेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

9.

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।


वनरिक्षेत्राधिकारी
सैलाना

वानिकी कार्य हेतु चेक लिस्ट

वनमण्डल का नाम : रतलाम
 परिक्षेत्र का नाम : सैलाना
 कक्ष/सर्वे क्रमांक एवं रकबा : 118/03 व 118/02 रकबा 20.512 हैं.
 ग्राम वन समिति : कन्सेर
 प्रस्तावित कार्य का नाम : वैकल्पिक वृक्षारोपण
 योजना का नाम : क्षतिपूर्ति वनीकरण (कैम्पामद)
 कार्य अवधि : वर्ष 2023-24 से 2033-34 तक
 चयनित स्थल का अक्षांश व देशांश :

दिशा	अक्षांश	देशांश
पुर्व	N 23°42'45.60"	E 75°01'17.00"
पश्चिम	N 23°42'45.34"	E 75°00'49.95"
उत्तर	N 23°42'49.55"	E 75°01'02.75"
दक्षिण	N 23°42'39.75"	E 75°01'02.11"

9. तकनीकी स्वीकृति का पत्र क्रमांक/दिनांक
 10. वित्तीय स्रोत
 (अ) आवंटन स्वीकृत-कर्ता का पदनाम व जारी पत्र :
 क्रमांक व दिनांक : क्षतिपूर्ति वनीकरण (कैम्पामद)
 (ब) बजट मद :
 (स) स्वीकृत आवंटन : 20.512 हेक्टर.
 11. चयनित क्षेत्रफल : 85.94 लाख
 12. प्राक्कलन की लागत :
 13. प्राक्कलन में निम्नानुसार दस्तावेजों की पूर्ति की गई है अथवा नहीं : हाँ

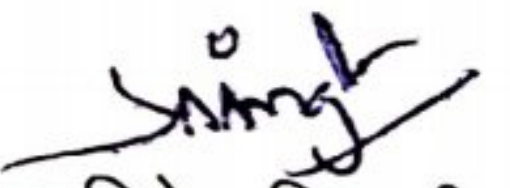
क्र.	विवरण	हां/नहीं
1	प्राक्कलन में प्रयुक्त दर (एस.ओ.आर) निम्न में से किस आधार पर लगाई गई है ? (क) पी.डब्ल्यू.डी.दर (ख) आर.ई.एस.दर (ग) सी.एफ. जाबदर	(क) पी.डब्ल्यू.डी.दर (ख) आर.ई.एस.दर (ग) सी.एफ. जाबदर
2	क्या प्राक्कलन से योजना के उद्देश्य की पूर्ति होती है?	हाँ
3	क्या प्रस्तावित क्षेत्र का चयन राजपत्रित अधिकारी द्वारा निरीक्षण कर किया गया, इस आशय का प्रमाण -पत्र प्राक्कलन में संलग्न किया गया है?	हाँ
4	संयुक्त वन प्रबंधन समिति की भागीदारी सुनिश्चित है, अथवा नहीं?	हाँ
5	क्या समिति का ठहराव -प्रस्ताव प्राप्त कर संलग्न किया गया है?	हाँ
6	क्या चयनित क्षेत्र विवादित है?	नहीं
7	क्या चयनित स्थल का विधिवत् सर्वेक्षण उपरांत KML File बनाकर संलग्न की गई है?	हाँ
8	क्या प्रस्तावित रोपण स्थल को 4 हेक्टेयर से अनाधिक आकार के सेक्टर में बांटा गया है?	हाँ
9	क्या प्रत्येक सेक्टर के चारों तरफ निरीक्षण मार्ग है ?	हाँ
10	क्या प्राक्कलन आवंटन सीमा में है?	हाँ
11	क्या प्रस्तावित कार्य, कार्य आयोजना के अंतर्गत कार्यवृत्त में प्रावधानित है?	हाँ
12	क्या स्टॉक मैप एवं उपचार मानचित्र 1:50000 स्केल पर पृथक-पृथक तैयार कर वन मण्डल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत किया है ?	हाँ
13	चयनित क्षेत्र किस टाईप का है ? A-US1/BL1 B-US2/BL2 C-US3/BL3	
14	क्या वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु कार्य प्रस्तावित किया गया है?	हाँ
15	क्या प्रस्तावित फेंसिंग के चारों ओर तीन मीटर चौड़ा निरीक्षण पथ छोड़ा गया है?	हाँ
16	क्या प्रस्तावित कार्य आवंटन सीमा में है?	हाँ
17	क्या प्राक्कलन में उद्देश्य के अनुसार चयनित प्रजाति का उल्लेख किया है?	हाँ
18	क्या प्राक्कलन में कक्ष इतिहास संलग्न किया है?	हाँ

वन परिक्षेत्राधिकारी
 सैलाना



भाग-1
योजना का संक्षिप्त विवरण

योजना का नाम	:-	क्षतिपूर्ति वनीकरण (कैम्पामद)
कार्य का नाम		वैकल्पिक वृक्षारोपण
कार्य अवधि	:-	वर्ष 2023-24 से 2033-24 तक
कक्ष/सर्वे क्रमांक	:-	118/03 एवं 118/02
क्षेत्रफल	:-	20.512 हेक्ट.
योजना का उपचारित क्षेत्र	:-	20.512 हेक्ट.
कार्यवृत्त	:-	वैकल्पिक वृक्षारोपण
बीट का नाम	:-	जावरा
संयुक्त वन प्रबंधन समिति का नाम	:-	ग्राम वन समिति - कन्सेर
10. परिक्षेत्र का नाम	:-	सैलाना
11. कुल फेंसिंग किया गया क्षेत्र	:-	20.512 हेक्ट.
12. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या (1000 पौधे प्रति हेक्ट.).	:-	50512 पौधे
13. चयनित प्रजातियां (प्राथमिकतानुसार)	:-	सागौन, चिरोल, सिस्सु, नीम, महारुख, बांस, पुंनजीवा, अर्जुन, काला शिशम, बेलपत्र, दहीमन्त्र, कुल्लु, बहेडा, महुआ, अचार, सिंदुरी, गिरनी एवं अन्य


 वन परिक्षेत्राधिकारी
 सैलाना



वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राजेक्ट रिपोर्ट

भाग - 01

सामान्य विवरण

01:- परियोजना का विवरण -

(अ) परियोजना का नाम	:- कुआंझागर तालाब परियोजना के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि कन्सेर रकबा 20.512 हैं. क्षतिपूर्ति वनीकरण वैकल्पिक वृक्षारोपण
(ब) भारत सरकार का अनुमोदन	:- क्रमांक दिनांक
(स) प्रत्यावर्तित वन भूमि का विवरण	:- कुआंझागर तालाब परियोजना के एवज में क्षतिपूर्ति वनीकरण वैकल्पिक वृक्षारोपण
01. जिला	:- रतलाम
02. वनमण्डल	:- सामान्य वन मण्डल रतलाम
03. परिक्षेत्र	:- सैलाना
04. तहसील	:- पिपलोदा
05. विकासखण्ड	:- पिपलोदा
06. विधानसभा क्षेत्र	:- जावरा
07. ग्राम पंचायत	:- कन्सेर
08. क्षेत्रीय परिक्षेत्र सहायक वृत्त	:- जावरा
09. क्षेत्रीय परिसर (बीट)	:- जावरा

02. स्थल विशेष जानकारी :-

01. ग्राम वन समिति	:- कन्सेर
02. वन खण्ड एवं कक्ष क्र./राजस्व क्षेत्र	:- सर्वे न. 118/03 एवं 118/02
03. राजस्व क्षेत्र/कक्ष का कुल क्षेत्रफल	:- 20.512 हैक्टर
04. कार्यवृत्त	:- क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण
05. उपचार श्रेणी/पातन	:- क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण
06. उपचार इकाई/कुप क्र. एवं ड्यू वर्ष	:- निरंक
07. स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी	:- 55 कि.मी .
08. राजस्व क्षेत्र/कक्ष में पुर्व में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी	:- निरंक



03. प्रस्तावित स्थल में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण :-

- (ए) योजना :- निरंक
- (बी) वर्ष :- निरंक
- (सी) क्षेत्रफल :- निरंक
- (डी) प्रजाति अनु :- प्रजाति - पौधा संख्या
- निरंक :- निरंक - निरंक
- (ई) वृक्षारोपण असफलता का कारण :- निरंक
- (एफ) वृक्षारोपण अपलेखन का विवरण :- निरंक
01. गठित समिति का प्रकार :- ग्राम वन समिति कन्सेर
02. समिति का मुख्यालय :- कन्सेर
03. समिति में सम्मिलित गाँव :- कन्सेर
04. समिति के अध्यक्ष का नाम :-
05. परिसर रक्षक/वनरक्षक का नाम :- श्री हरीशचन्द्र भट्ट, वनरक्षक
06. परिक्षेत्र के सहायक का नाम :- श्री कमलसिंह देवडा, वनपाल

	लघु कृषक			सीमांत कृषक			भुमिहीन कृषक			अन्य			योग		
	पु.	म.	यो.	पु.	म.	यो.	पु.	म.	यो.	पु.	म.	यो.	पु.	म.	यो.
आदिवासी	10	09	19	—	—	—	—	—	—	21	07	28	31	16	47
हरीजन	12	10	22	18	12	30	—	—	—	28	15	43	58	37	95
पिछड़ा वर्ग	17	08	25	27	23	50	09	05	14	42	23	65	95	59	154
सामान्य	35	25	60	65	20	85	—	—	—	70	19	89	170	64	234
योग:-	64	52	126	110	55	165	09	05	14	161	64	225	354	176	530

04. उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (क्षेत्र की भौगोलीक रचना) :-

- (ए) टोपोग्राफी :- मैदानी क्षेत्र/मुरमी हल्की ढलान
- (बी) एस्पेक्ट :- उत्तरी क्षेत्र
- (सी) ढलान :- 10 डिग्री एवं अधिक
- (अ) पानी निकासी :- मध्यम
- (ब) भुक्षरण :- मध्यम
- (डी) चट्टानों का विवरण :- निरंक
- (ई) मिट्टी का प्रकार :- मुरमी



(एफ) औसत वार्षिक वर्षा	:-	797 मिलीमीटर
(जी) नरम मिट्टी का क्षेत्र (हेक्टर)	:-	30 प्रतिशत
(एच) कड़ी मिट्टी का क्षेत्र (हेक्टर)	:-	70 प्रतिशत
(आई) पथरीली मिट्टी	:-	निरंक

05. वन क्षेत्र का विवरण :-

(ए) वन का प्रकार एवं वनोपज	:-	क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण राजस्व क्षेत्र में होने से वन क्षेत्र की जानकारी निरंक है ।
----------------------------	----	---

संक्षिप्त विवरण	:-	निरंक
-----------------	----	-------

प्रजाति	20 से.मी. तक की सीधी एवं स्थापित पौधे	21 से.मी. से अधिक के वृक्ष
—	—	—

(बी) साईट क्वालिटी घनत्व	:-	रिक्त
--------------------------	----	-------

(सी) पूर्ण वन वर्धन	:-	निरंक
---------------------	----	-------

टुठ एवं गोलाई की गणना

गोलाई								
प्रजाति	20 से.मी. तक की आड़ी-तेड़ी पौध	21 से 30 से.मी.	31 से 30 से.मी.	31 से 45 से.मी.	46 से 60 से.मी.	61 से 90 से.मी.	91 से 120 से.मी.	120 से.मी. से ऊपर
योग :-	—	—	—	—	—	—	—	—

(डी) आंशिक वन वर्धन का क्षेत्र	:-	निरंक
--------------------------------	----	-------

(ई) आंशिक वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	:-	निरंक
------------------------------------	----	-------

(एफ) खरपतवार (मुख्यतः लेन्टाना)	:-	निरंक
---------------------------------	----	-------

(जी) पूर्ण वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	:-	हेक्टर 20.512
-------------------------------------	----	---------------

(एच) चारागाह वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	:-	—
---------------------------------------	----	---

(आई) विकृत बांस का क्षेत्र	:-	निरंक
----------------------------	----	-------

(जे) क्षेत्र जो पथरीला कटाव वाला	:-	10 प्रतिशत कच्ची मुरम
----------------------------------	----	-----------------------

(के) प्राकृतिक रूप से रिक्त है	:-	निरंक
--------------------------------	----	-------

(कार्य अयोग्य)

(एल) जैविक दबाव	:-	अधिक
-----------------	----	------



प्रकार		जैविक दबाव	
वन्य प्राणी	नील गाय	औसत	नगण्य
चराई	आंशिक	अधिक	—
मानव	आंशिक	अधिक	—

06. योजना का उद्देश्य

:- कुआंझागर तालाब परियोजना के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण ।

क्षेत्रफल

:- 20.512 हैक्टर

07. उपचार कार्यो का संक्षिप्त विवरण

:- गैर वनभूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण

कट बैंक का क्षेत्र

:- निरंक

वृक्षारोपण का क्षेत्र

:- 20.512 हैक्टर

भु-क्षरण का क्षेत्र

:- निरंक

लेन्टाना

:- विरल

08. रोपणी का नाम जहाँ पौधे तैयार किये जावेंगे

:- अनुसंधान विस्तार वृत्त रतलाम की बासिन्द्रा, नाल, रतलाम एवं शिवगढ़ ।

09. रोपणी से रोपण स्थल की दुरी

(अ) ट्रक/टेक्टर द्वारा

:- 80-95 कि.मी.

(ब) सिर बोझ द्वारा

:- 01 से 02 कि.मी.

10. सिंचाई का विवरण

(अ) जल स्रोत

:- स्थानीय तालाब द्वारा

(ब) वृक्षारोपण से दुरी

:- क्षेत्र के बाहर

(स) सिंचाई से तरीका

:- सतही

(द) बिजली उपलब्धता

:- —

11. प्रति हेक्टर पौधों की संख्या

:- 1000

(अ) प्रति हेक्टर सी.बी.ओ. प्राप्त होने वाले

:- निरंक

पौधों की प्रस्तावित संख्या

(ब) क्षेत्र में उपलब्ध वृक्षों की संख्या

:- निरंक

(20 से.मी. से अधिक)

(स) क्षेत्र में सीधे एवं स्थापित पौधे

:- निरंक

(20 से.मी. से अधिक)

(द) रोपण से प्राप्त होने वाले प्रस्तावित

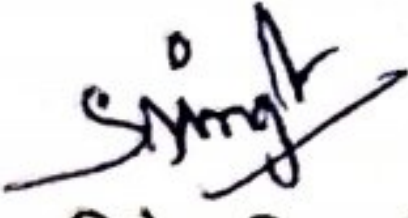
:- 20512

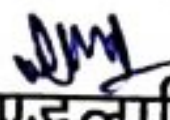
पौधों की संख्या



न्यूनतम 1000 पौधे प्रति हेक्टर से 20.512 हैक्टर हेतु कुल पौधो की संख्या 20512

12. योजना की अवधि	:-	11 वर्ष
13. (ए) योजना पर होने वाला संभावित व्यय	:-	85.94 (लाख में)
(बी) प्रति हेक्टर व्यय	:-	4.19 (लाख में)
14. अन्य विवरण	:-	


वन परिक्षेत्राधिकारी
सैलाना


उप वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

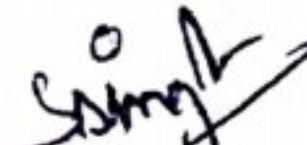

वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

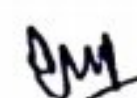
प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल ग्राम वन समिति – कन्सेर के राजस्व क्षेत्र के सर्वे न. 118/03 एवं 118/02 तहसील पिपलोदा जिला रतलाम का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पाई गई है। प्रस्तावित क्षेत्र उपचार कार्यो के योग्य है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण दिनांक 16.10.23


वन परिक्षेत्राधिकारी
सैलाना


उप वनमण्डलाधिकारी
रतलाम


वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक/व्यय/2023/..... दिनांक द्वारा जारी की गई।

मुख्य वनसंरक्षक
उज्जैन वृत्त, उज्जैन

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल ग्राम-कन्सेर के सर्वे नम्बर 118/03 एवं 118/02 तहसील पिपलोदा का मेरे द्वारा निरीक्षण दिनांक-.....-2023 को किया गया है। निरीक्षण के समय उक्त क्षेत्र अतिक्रमण मुक्त होकर वृक्षारोपण एवं उपचार हेतु उपयुक्त पाया गया है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।


वन परिक्षेत्राधिकारी
सैलाना

निरीक्षण दिनांक 16.10.23

उप वनमण्डलाधिकारी
रतलाम


वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक / व्यय / 2023 / दिनांक द्वारा जारी की गई।

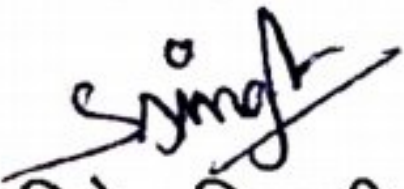
मुख्य वनसंरक्षक एवं
पदेन वनसंरक्षक
उज्जैन वृत्त, उज्जैन

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूर्ति वनीकरण (कैम्पामद) योजना अंतर्गत प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल कन्सेर के राजस्व भूमि सर्वे 118/03 एवं 118/02 का मेरे द्वारा एवं उपवनमण्डलाधिकारी द्वारा दिनांक-.....-2023 को निरीक्षण किया गया निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पायी गयी। प्रस्तावित क्षेत्र उपचार कार्यो एवं वृक्षारोपण के योग्य है।

प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र में पत्थर उपलब्ध नहीं होने के कारण दिवार नहीं बनाई जा सकती है, तथा पुरा क्षेत्र ढलानी होने के कारण पशुरोधक खंती खोदने पर खुदी हुई मिट्टी वर्षाजल में बहकर एवं खन्ती एवं खन्ती से नालियां बनकर भू-क्षरण बढेगा फिर सुरक्षा प्रभावी नहीं हो सकेगी। इस कारण सीमेंट पोल्स पर 02 लाईन में कांटेदार तार तथा चेनलिंग फेसिंग कर सुरक्षा की जाना नितांत आवश्यक है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।


वन परिक्षेत्राधिकारी
सैलाना

निरीक्षण दिनांक 16/10/23

उप वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

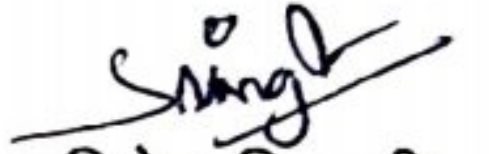

वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक/व्यय/2023/..... दिनांक द्वारा जारी की गई।

मुख्य वनसंरक्षक एवं
पदेन वनसंरक्षक
उज्जैन वृत्त, उज्जैन

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल ग्राम-कन्सेर के सर्वे नम्बर 118/03 एवं 118/02 तहसील पिपलोदा में ब्लॉक मेप अनुसार आबंटित भूमि रकबा 20.512 हेक्टेयर का परिक्षण किया गया, जिसमें आबंटित भूमि वनक्षेत्र में नहीं होना पाई गई।


वनपरिक्षेत्राधिकारी
सैलाना

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आदर्श योजना (क्षेत्रफल- 20.512 हेक्टेयर)

(असिंचित)

वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण

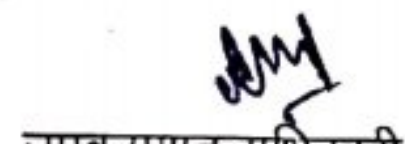
रकबा 20.512 हेक्टेयर

क्षेत्र तैयारी वर्ष 2024-25 -योजना का प्रथम वर्ष संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर

मजदूरी दर 393

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर/ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मा. दि.	इकाई			
1	सर्वे एवं सीमांकन हे०	20.512	ha	0.45	प्रति हे०	9.23	3628	जॉबदर
2	पक्के मुनारों का निर्माण (200 मी. पर 1 मुनारा)	15	मुनारा	16	मुनारा	240.00	94320	गणना के आधार पर
3	ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हैक्ट.	20.512	ha	1.00	-	20.51	8061	अनुमानित
4	क्षेत्र सफाई (हे०)	20.512	ha	4.00	प्रति हे०	82.05	32245	जॉबदर
5	लेन्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	10	ha	12.50	प्रति हैक्ट	125.00	49125	जॉबदर
6	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज चैनलिंग फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 75 30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्ढों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट से भरा जायेगा।	2200.00	Rmt	2.4	Rmt	5280.00	2075040	गणना के आधार पर
8	गड्ढा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	20512	गड्ढे	2.5	प्रति हजार	51.28	20153	जॉबदर
7	शेपण हेतु गड्ढा खोदाई संख्या 60x60x60 cm.	20512	गड्ढे	10	प्रति सैकड़ा	2051.20	806122	जॉबदर
8	गड्ढों में मिट्टी बदलने हेतु कुल आयतन का 20%	886.12	घ०मी०	1.5	प्रति घ०मी०	1329.18	522367	बाजार दर
9	गोबर खाद डालने हेतु कुल आयतन का 10%	443.06	घ०मी०	3	प्रति घ०मी०	1329.18	522367	बाजार दर
10	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्ढों में डालना	20512	गड्ढे	1.5	प्रति सैकड़ा	307.68	120918	जॉबदर
11	हट निर्माण		L.S.			150.00	58950	अनुमानित
12	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पैंट, चूना आदि)					200.00	78600	अनुमानित
	योग					11175.31	4391895	
3	भू-जल संरक्षण कार्य 06 प्रतिशत		हे०	24.5	प्रति हे०	670.52	263514	अनुमानित
	कुल योग					11845.82	4655409	


वनपरिक्षेत्राधिकारी
सैलाना


उपवनमण्डलाधिकारी
रतलाम


वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

योजना का द्वितीय वर्ष 2025-26

(असिंचित)

मजदूरी दर

416.58

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर/ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मा. दि.	ईकाई			
1	रोपणी कार्य							
	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	20512	पौधे	14	14/प्रति पौधा	689.35	287162	बाजार दर
	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 10%	2051	पौधे	14	14/प्रति पौधा	68.93	28717	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)							
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	22563	पौधे	1.5	1.5/100	338.45	140991	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	22563	पौधे	0.4	0.4 प्रति सैकड़ा	90.25	37598	जॉबदर
3	लैटाना मापिंग अप आपरेशन	20	हेक्टेयर	8	8 प्रति हेक्ट	160.00	66653	जॉबदर
4	रोपण 60x60x60 cm.	20512	पौधे	2	2 प्रति सैकड़ा	410.24	170898	जॉबदर
5	प्रथम निंदाई पौधों में	20512	पौधे	1.25	1.25/100	256.40	106811	जॉबदर
6	द्वितीय निंदाई पौधों में	20512	पौधे	1	1/100	205.12	85449	जॉबदर
7	तृतीय निंदाई पौधों में	0	पौधे	1	1/100	0.00	0	जॉबदर
8	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	20512	पौधे	0.6	0.6 प्रति सैकड़ा	123.07	51269	जॉबदर
9	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाइन 6 मीटर चौड़ी	3970	mtr	3.35	3.35 /किमी	13.30	5540	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	2064	mtr	2.25	2.25/किमी	4.64	1935	जॉबदर
10	सुरक्षा 1 श्रमिक 9 माह		1x9			234.00	97480	अनुमानित
11	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	20512	पौधे		Lumsum	600.00	249948	अनुमानित
12	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					50.00	20829	अनुमानित
योग:-						3243.76	1351285	

योजना का तृतीय वर्ष 2026-27

(असिंचित)

मजदूरी दर

441.58

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर/ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मा. दि.	ईकाई			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	2051	पौधे	0.04	14 रुपये प्रति पौधा	72.74	32118	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)							बाजार दर
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	2051	पौधे	1.5	1.5/100	30.77	13586	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	2051	पौधे	0.4	0.4 प्रति सैकड़ा	8.20	3623	जॉबदर
3	चेनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					40.00	17663	अनुमानित
	प्रथम निंदाई पौधों में	20512	पौधे	1.25	1.25/100	256.40	113220	जॉबदर
	द्वितीय निंदाई पौधों में	20512	पौधे	1	1 मादि/100	205.12	90576	जॉबदर
	तृतीय निंदाई पौधों में	0	पौधे	1	1 मादि/100	0.00	0	जॉबदर
	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	20512	पौधे	0.6	0.6 मादि/सैकड़ा	123.07	54346	जॉबदर
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाइन 6 मीटर चौड़ी	2200	mtr	3.35	3.35 /किमी	7.37	3254	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	4000	mtr	2.25	2.25/किमी	9.00	3974	जॉबदर
	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 ekg			312.00	137771	अनुमानित
	उपलब्धता अनुसार सिंचाई				Lumsum	525.00	231827	अनुमानित
	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					25.00	11039	अनुमानित
योग:-						1614.67	712998	

Signature

Signature

Signature



Scanned with OKEN Scanner

योजना का चतुर्थ वर्ष 2027-28

(असिंचित)

मजदूरी दर 468.06

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मा.दि.	इकाई			
1	पौधा का वनस्पति (10 प्रतिशत पौधा से पुनरीक्षण हेतु)	0	पौधा	0.04	10 रुपये प्रति पौधा	0.00	0	बाजार दर
2	पौधा का वनस्पति (संरक्षण)							बाजार दर
3	दुक / ट्रेक्टर द्वारा	0	पौधा	1.5	100	0.00	0	जॉबदर
4	विश्व बोरा द्वारा 1 विद्युत	0	पौधा	0.4	सेकंडा	0.00	0	जॉबदर
5	प्रथम निदाई							
6	पौधा से	20512	पौधा	1.25	100	256.40	120011	जॉबदर
7	द्वितीय निदाई							
8	पौधा से	0	पौधा	1	100	0.00	0	जॉबदर
9	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	20512	पौधा	0.6	0.6 मादि / सेकंडा	123.07	57605	जॉबदर
10	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
11	6 मीटर चौड़ी	2200	mtr	3.35	किमी	7.37	3450	जॉबदर
12	3 मीटर चौड़ी	4000	mtr	2.25	किमी	9.00	4213	जॉबदर
13	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312.00	146036	अनुमानित
14	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					26.00	12170	अनुमानित
15	उपलब्धता अनुसार निदाई		20000		Lumsum	220.00	102974	अनुमानित
योग:-						953.84	446458	

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष 2028-29

(असिंचित)

मजदूरी दर 496.16

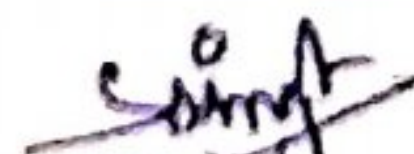
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर / ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मा.दि.	इकाई			
1	वैधानिक फोर्सिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					100.00	49616	अनुमानित
2	प्रथम निदाई							
3	पौधा से	0	पौधा	1.25	100	0.00	0	जॉबदर
4	द्वितीय निदाई							
5	पौधा से	0	पौधा	1	100	0.00	0	जॉबदर
6	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	0	पौधा	0.6	सेकंडा	0.00	0	जॉबदर
7	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
8	6 मीटर चौड़ी	2200	mtr	3.35	किमी	7.37	3657	जॉबदर
9	3 मीटर चौड़ी	4000	mtr	2.25	किमी	9.00	4465	जॉबदर
10	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312.00	154803	अनुमानित
11	अन्य व्यय					5.00	2481	अनुमानित
योग:-						433.37	215022	

योजना का षष्ठम वर्ष 2029-30

(असिंचित)

मजदूरी दर 525.91

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
2	6 मीटर चौड़ी	2200	mtr	3.35	किमी	7.37	3876	जॉबदर
3	3 मीटर चौड़ी	4000	mtr	2.25	किमी	9.00	4733	जॉबदर
4	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312.00	164084	अनुमानित
5	अन्य व्यय					5.00	2630	अनुमानित
योग:-						333.37	175323	


उपविभागीय अधिकारी
रतलाम


उपविभागीय अधिकारी
रतलाम


उपविभागीय अधिकारी
रतलाम

योजना का सातम वर्ष 2030-31

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर/ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मा.दि.	ईकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	2200	mtr	3.35	किमी	7.37	4109	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	4000	mtr	2.25	किमी	9.00	5017	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312.00	173931	अनुमानित
3	अन्य व्यय					2.00	1115	अनुमानित
योग:-						330.37	184172	

योजना का अष्टम वर्ष 2031-32

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर/ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मा.दि.	ईकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	2200	mtr	3.35	किमी	7.37	4356	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	4000	mtr	2.25	किमी	9.00	5320	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312.00	184414	अनुमानित
3	अन्य व्यय					2.00	1182	अनुमानित
योग:-						330.37	195272	

योजना का नवम वर्ष 2032-33

(असिंचित)

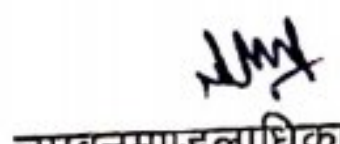
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर/ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मा.दि.	ईकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	2200	mtr	3.35	किमी	7.37	4617	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	4000	mtr	2.25	किमी	9.00	5638	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312.00	195450	अनुमानित
3	अन्य व्यय					2.00	1253	अनुमानित
योग:-						330.37	206958	

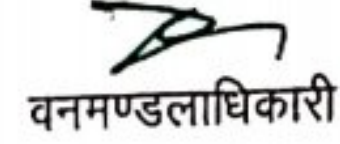
योजना का दशम वर्ष 2033-34

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर/ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मा.दि.	ईकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	2200	mtr	3.35	किमी	7.37	4895	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	4000	mtr	2.25	किमी	9.00	5978	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312.00	207221	अनुमानित
3	अन्य व्यय					2.00	1328	अनुमानित
योग:-						330.37	219422	


वनपरिक्षेत्राधिकारी
सैलाना


उपवनमण्डलाधिकारी
रतलाम


वनमण्डलाधिकारी
रतलाम



Scanned with OKEN Scanner

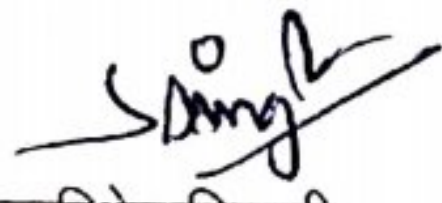
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर/ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मा.दि.	ईकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	2200	mtr	3.35	किमी	7.37	5185	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	4000	mtr	2.25	किमी	9.00	6331	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312.00	219483	अनुमानित
3	अन्य व्यय					1.00	703	अनुमानित
योग:-						329.3700	231702	

गोश्वारा, आदर्श रोपण

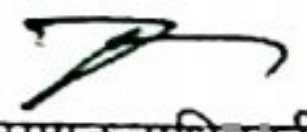
क्र.	वर्ष	मजदूरी दर	प्रस्तावित (मानव दिवस)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	राशि
1	प्रथम	393	11845.82	1.000	11845.82	4655409
2	द्वितीय	393	3243.76	1.060	3438.38	1351285
3	तृतीय	393	1614.67	1.124	1814.24	712998
4	चतुर्थ	393	953.84	1.191	1136.03	446458
5	पंचम	393	433.37	1.263	547.13	215022
6	षष्ठम	393	333.37	1.338	446.12	175323
7	सप्तम	393	330.37	1.419	468.63	184172
8	अष्टम	393	330.37	1.504	496.88	195272
9	नवम	393	330.37	1.594	526.61	206958
10	दशम	393	330.37	1.690	558.33	219422
11	ग्यारवा	393	329.37	1.790	589.57	231702
	कुल योग		20075.68		21867.74	8594020

418975.241

4.19


वनपरिक्षेत्राधिकारी
सैलाना


उपवनमण्डलाधिकारी
रतलाम

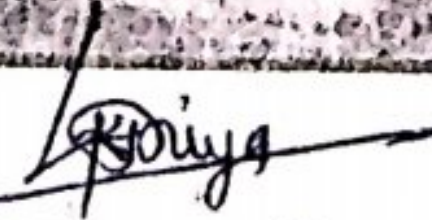

वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

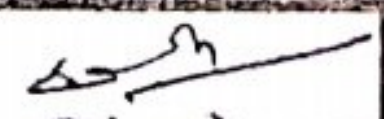
* उपचार मानचित्र *

कुआंझागर परियोजना अंतर्गत क्षतिपूर्ती वनीकरण

स्थल - कंसेर, सर्वे क्रमांक - 118/3, क्षेत्रफल 20.512 हे.




दशरथ कुमार वसुनिथ
वन रक्षक
बीटगार्ड - रिगनोट


कमलसिंह देवड़ा
वन परिक्षेत्र सहायक
जावरा

-:संकेत:-

क्षेत्र घेराव / फेंसींग - ~~~~~
निरीक्षण पथ / अभिनरेखन - ~~~~~
गाइडा खुदाई / रोपण - xxx
भूजल संरक्षण कार्य - ~~~~~
लेबर हट - 
प्रवेश-डार - 

आदेश द्वारा एम.आर. बघेल (भा.व.से.) वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन

:: आदेश ::

आदेश क्रमांक/तकनीकी/2023/ 129

उज्जैन, दिनांक 01/12/2023

प्रकरण अन्तर्गत वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल रतलाम द्वारा उनके पत्र क्रं./मा.चि/2023/4020 दिनांक 27-10-2023 से वनमण्डल रतलाम के परिक्षेत्र रतलाम की बीट मुंदड़ी के कक्ष क्रं. पी-24 अन्तर्गत प्रस्तावित कुआझागर तालाब हेतु 20.512 हे. वन भूमि कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग रतलाम द्वारा वनभूमि की उपयोगार्थ मांग के बदले समतुल्य गैर वन भूमि में 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना वर्तमान मजदूरी दर के आधार पर संशोधित कर निम्नानुसार प्रेषित की है।

अ.क्र.	तहसील का नाम	परिक्षेत्र का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे नं.	रकबा (हे. में)	वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि
1	पिपलोदा	सैलाना	कन्सेर	118/02, 118/03	20.512	8594020/-

वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्डल रतलाम द्वारा उपरोक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) के पत्र क्रं. 4050 दिनांक 30-12-2019 से प्रेषित मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनुसार निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर प्रस्तुत की है। अतः म.प्र. बुक ऑफ फायनेंशनल पॉवर 2022 वॉल्यूम-2 में वन विभाग को प्रदत्त अधिकार के बिंदु क्रमांक 20 में निहित एवं प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का उपयोग करते हुए वनमण्डलाधिकारी रतलाम द्वारा प्रेषित उपरोक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की Provisional तकनीकी स्वीकृती निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- 1) समस्त कार्य स्वीकृत जॉब दरो निर्धारित चार्ज एवं बजट प्रावधानों के अन्तर्गत ही कराये जावे। यदि किसी कार्य की जॉब दर स्वीकृत न हो तो, स्वीकृती हेतु दर प्रस्तुत की जावे।
- 2) कार्य की गुणवत्ता उत्तम हों।
- 3) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञाप क्र./डी/3202/3827/2001/10/3 दिनांक 7 दिसंबर 2001 एवं क्रमांक-एफ-03-11/2018 /10-2 दिनांक 14 मई 2019 से प्रसारित दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करें।
- 4) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र./572 दिनांक 07-02-2002 एवं 79 दिनांक 08-01-2018 में निहित निर्देशों की कड़ाई से पालना की जावे।
- 5) सामग्री क्रय करते समय म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन अधिनियम 2015 की धारा 7, 9, 10 एवं 11 के भण्डार नियमों का पालन अनिवार्य रूप से किया जावे। भण्डार क्रय नियमों के अन्तर्गत अनुसूची 'अ' में सम्मिलित सामग्री म.प्र. लघु उद्योग निगम अथवा भारत सरकार के गर्वमेंट ई-मार्केट पोर्टल से ही क्रय की जावे। जो सामग्री राशि रु. 2.50 लाख के अन्दर तक की कोटेशन द्वारा प्राप्त की जानी है, उसे क्रय समिति से परीक्षण कराया जावे तथा अनुमोदन वनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जावे।
- 6) फेंसिंग पोल/जाली/तार/लोहा/स्टील एवं अन्य सभी क्रय सामग्रियों का सत्यापन उप वनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जावेगा। क्रय तथा उपयोग की सामग्री स्टोर पंजी में स्टोर प्रभारी द्वारा अनिवार्यतः इंद्राज की जावेगी, जिसकी पुष्टि वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा की जावेगी।
- 7) प्रस्तावित कार्य का वनमण्डलाधिकारी/उपवनमण्डलाधिकारी/वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा कार्य अवधि में न्यूनतम 25% वनमण्डलाधिकारी, 50% उपवनमण्डलाधिकारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा 100% स्थल निरीक्षण अनिवार्य किया जावेगा।
- 8) वनमण्डलाधिकारी यह सुनिश्चित करे कि, कार्य आयोजना में निहित प्रावधानों के विपरीत कोई कार्य न हो। यदि विचलन की आवश्यकता हो तो तदनुसार प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को भेजे तथा स्वीकृती उपरांत ही कार्य कराये जावे।

- 9) शासन तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों के पालन की जवाबदारी वनमण्डलाधिकारी की रहेगी।
- 10) मौके पर कार्य करने वाले कर्मचारी के पास स्वीकृती की प्रति, माप पुस्तिका, प्रस्तावित माप डिजाईनिंग एवं मानचित्र उपलब्ध होना आवश्यक है।
- 11) वनमण्डलाधिकारी सुनिश्चित करे, कि पूर्व में प्रस्तावित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य तो नहीं कराया गया है। स्वीकृत क्षेत्र का स्थल परिवर्तन मान्य नहीं होगा। यदि कोई स्थल कार्य योग्य नहीं है तो उस स्थल पर कार्य नहीं कराया जाकर स्वीकृत राशि समर्पित कर अवगत कराया जावे।
- 12) स्वीकृत कार्य समाप्ति उपरांत, स्वीकृति अनुसार किये गये कार्यों का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को भेजा जावे।
- 13) मुख्यतः कार्य मजदूरी से कराया जावे, अत्यंत आवश्यक होने पर मजदूरी की उपलब्धता न होने पर ही यांत्रिकी साधन से कार्य कराया जावे।
- 14) स्थल पर रोपण होने पर मानक आकार के पौधे लगाये जावे।
- 15) रोपण मूल्यांकन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं. 3410 एवं दिनांक 13-11-2013 के आधार पर रिकॉर्ड रखा जावे एवं वृक्षारोपण पंजी में चस्पा किया जावे।
- 16) माप पुस्तिका पर कराये गए कार्यों की प्रविष्टि उपरांत वन परिक्षेत्राधिकारी, उपवनमण्डलाधिकारी के हस्ताक्षर लिये जावे।
- 17) किये गये कार्यों की प्रविष्टि कक्ष इतिहास, ई-ग्रीन वॉच पोर्टल, Plantation Monitoring System एवं MIS Portal में समय-समय पर की जावे।
- 18) वनमण्डलाधिकारी प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 (CAF Rules 2018) के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 19) स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। परियोजना स्थल पर व्यय मितव्ययता रखते हुए कार्य किये जावे।
- 20) श्रमिकों को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित देय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जावे।
- 21) क्षेत्र घेराव हेतु फेंसिंग पर Green Hedge अनिवार्य रूप से तैयार किये जावे।
- 22) योजना में रोपित किये जाने वाले पौधों का जीवितता प्रतिशत 75 प्रतिशत से अधिक होना अनिवार्य है।
- 23) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं. 558 दिनांक 10.06.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
- 24) उपरोक्त प्राकलन Provisional तकनीकी स्वीकृती प्रदान की गई है। कार्य समाप्त होने के उपरांत मौके पर वास्तव में कराये गए कार्य अनुसार तकनीकी प्राकलन आपके द्वारा प्रस्तुत किये जानें पर अंतिम रूप से तकनीकी स्वीकृती दी जावेगी।

(एम.आर. बघेल)

भा.व.से.

वन संरक्षक

उज्जैन वृत्त उज्जैन

उज्जैन, दिनांक...01/12/2023

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./2023/ 6692

- (1) महालेखाकार (ऑडिट) ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (2) वनमण्डलाधिकारी (सा.) वनमण्डल रतलाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वन संरक्षक

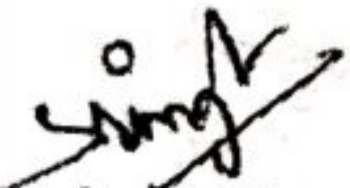
उज्जैन वृत्त उज्जैन

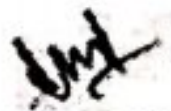


प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल ग्राम वन समिति - कन्सेर के राजस्व क्षेत्र 118/03 एवं 118/02 तहसील पिपलोदा जिला रतलाम का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पाई गई है। प्रस्तावित क्षेत्र उपचार कार्यों के लिए है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।


वन परिक्षेत्राधिकारी
सैलाना


उप वनमण्डलाधिकारी
रतलाम


वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक ^{NK} ~~वस~~ / 2023 / 129 दिनांक 01/12/2023 द्वारा जारी की गई।


वनसंरक्षक
उज्जैन वृत्त, उज्जैन